

2


FORM NO. III

फर्द अहकाम

2022/129

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बडीसादडी जि. चित्तौड़गढ़
बनाम रविशंकर लाल
किस्म मुकद्दमा पं. 457/28 सं. 86/2022 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही पर इतिहास जण	सम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/5/22	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय वहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा.....<u>216/31-का 2631</u>.....की ग्राम.....<u>105 का 0.3900 च.</u>.....की आ.न.....<u>105 का 0.3900 च.</u>.....की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजूदगी में की जावे।</p> <p>प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रुपये <u>1000/-</u> वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें।</p> <p>पत्रावली में हुक्मनामा जारी होकर फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी</p>	

